सत्यमेव जयते
भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SHCEDULED TRIBES

File No. Tour FCC/1/2013/Jharkhand/RU-III

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003

दिनाँक/ Dated: ~~13~~/01/2015
14

To

Shri G.S. Shankar,
Deputy Commissioner,
Distt. Gumla,
Jharkhand

Sub: Representation of complaint against Shri Dhirendar Pratap Singh regarding contesting of election of, Chairman Nagar, Panchayat, Gumla on the basis of fake tribe Certificate obtained by him.

Sir,

I am directed to enclose a copy of the proceedings of the Sitting taken by Dr. Rameshwar Oraon, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes on 02/01/2015 for taking necessary action.

Yours faithfully

(Rajeshvar Kumar)
Assistant Director

Copy to:-

Assistant Director (C.Cell), NCST

SSA NIC, National Commission for Scheduled Tribes for upload website.

National Commission for Scheduled Tribes

File No. Tour/FCC/1/2013/Jharkhand/RU-III

Minutes of the Sitting held on 02.01.2015 at 1300 Hrs in the Regional office of the National commission for Scheduled Tribes, 14, New A.G. Co-opreative colony, Kadru, Ranchi-834002 in the matter complaint against Shri Dhirendar Pratap Singh regarding contesting of election of Chairman Nagar, Panchayat, Gumla on the basis of fake tribe certificate obtained by him.

Date of Hearing:	**02/01/2015**
In Chair:	**Dr. Rameshwar Oraon, Hon'ble Chairperson, NCST**
Present:	**Shri G.S. Shankar, Deputy Commissioner, Gumla, Jharkhand**

उपायुक्त गुमला ने बताया कि उनके द्वारा मामलें को राज्य निर्वाचन आयोग झारखण्ड के पास भेजा गया । जहाँ दिनांक 28-4-2014 को सुनवाई हुई है । सुनवाई के पश्चात आयोग ने एक तीन सदस्यी समिति का गठन किया तथा मामलें की जाँच के पश्चात प्रतिवेदन मांगा है । समिति के सदस्य निम्नवत हैः-

1. आदिवासी कल्याण आयुक्त अथवा अतिरिक्त सचिव अधिकारी।
2. जनजातिये शोध संस्थान के एक पदाधिकारी।
3. हजारीबाग जिला के अपर–समाहर्ता के एक अधिकारी।

उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग झारखण्ड ने कल्याण सचिव, झारखण्ड सरकार को निर्देश दिया कि उपर्युक्त समिति द्वारा जाँच उपरान्त प्रतिवेदन उसे भेजा जाय । जानकारी के अनुसार अभी तक जाँच प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है । उपायुक्त ने बताया कि वे कल्याण सचिव, झारखण्ड सरकार से अनुरोध करेंगे कि उपर्युक्त समिति द्वारा शीघ्र कार्रवाई करावे एवं कार्रवाई उपरान्त एक प्रतिवेदन आयोग को दे ताकि अग्रतर कार्रवाई हो सके । बैठक में यह भी तय हुआ कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से भी राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड तथा कल्याण सचिव, झारखण्ड सरकार को पत्र लिखकर सलाह दें ।

रामेश्वर उरांव

(डा. रामेश्वर उराँव)

अध्यक्ष

डा॰ रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली